


श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक : 4/7/अन्वे./पॉच/2009/ **26050-349** इन्दौर, दिनांक **23-8-10**

प्रति,

विषय:- अखिल भारतीय एवं मध्यप्रदेश केन्द्रों के लिये अप्रैल, 2010 से जून, 2010 तक के लिये औद्योगिक श्रमिकों एवं कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नानुसार है:-

क्रमांक	केन्द्र का नाम	आधार वर्ष	अप्रैल, 10	मई, 10	जून, 10
	औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1949=100	4716	4769	4830
		1960=100	3880	3924	3974
		1982=100	787	796	806
		2001=100	170	172	174
1.	भोपाल	1960=100	4723	4745	4827
		1982=100	865	869	884
		2001=100	179	180	183
2.	इन्दौर	1960=100	4020	4020	4066
		1982=100	776	776	785
		2001=100	164	164	166
3.	जबलपुर	1949=100	5166	5224	5282
		1982=100	806	815	824
		2001=100	178	180	182
4.	छिन्दवाडा	1966=100	1764	1785	1805
		1982=100	681	689	697
		2001=100	169	171	173
	कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1960=100	3169	3181	3222
		1986-87=100	538	540	547


 (एल.के. पाण्डेय)
 अपर श्रमायुक्ता,
 मध्यप्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/7/अन्वे./पॉच/2009/26350-650, इन्दौर, दिनांक 23-8-10

प्रति,

विषय :- अप्रैल, 2010 से जून, 2010 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2010 तक की तिमाही हेतु महंगाई भत्ता।

इन्दौर एवं भोपाल केन्द्रों हेतु माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2010 की तिमाही के लिये औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नानुसार है :-

आधार वर्ष 1960=100 शिमला सिरीज

माह	इन्दौर केन्द्र	भोपाल केन्द्र
अप्रैल, 2010	4020	4723
मई, 2010	4020	4745
जून, 2010	4066	4827
योग	12106	14295
औसत सूचकांक	4035	4765
गत तिमाही का औसत सूचकांक	4042	4668
अन्तर	-(7)	+97

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार नीचे दर्शाए गए केन्द्रों के लिए जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2010 तक (तिमाही हेतु) परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

क्रं.	केन्द्र का नाम	सूचकांक में परिवर्तन	दर सूचकांक	प्रतिमाह देय
1.	इन्दौर, उज्जैन, नागदा, रतलाम, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, ग्वालियर मालनपुर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, आदि।	-(7)	1.08	-
2.	भोपाल	+97	1.19	+115.43 (एक सौ पंद्रह रुपये त्रियालिस पैसे)

अतएव माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन के पंच निर्णय दिनांक 1.9.1973, माननीय श्रम मंत्रीजी के पंच निर्णय दिनांक 4.12.1973, श्रमायुक्त के पंच निर्णय दिनांक 6.10.1973, एवं उप श्रमायुक्त के पंच निर्णय दिनांक 3.11.1980 जो भी प्रभावशील हो, के अनुसार कृपया महंगाई भत्ते का वितरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एल.के. पाण्डेय)
अपर श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर